यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 42/2022(2022/372)

आर मार्बल एण्ड ग्रेनाईट्स इम्पेक्स ग्राम भाण्डावास तहसील सावर जिला अजमेर जरिये पार्टनर
1. सचिन धनजानी पुत्र भोजराज धनजानी निवासी केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।
2. रेखा धनजानी पत्नी भोजराज धनजानी निवासी केकडी जिला अजमेर।

—प्रार्थीगण

वनाम

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार, सावर जिला अजमेर।

—अप्रार्थी

स्थित:—
1. सुर्यकांत दाधीच—वकील वादी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज. अभिधृति अधिनियम

निर्णय

दिनांक 22.8.2022

वली आज न्यायालय में पेश हुई। प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम के । पेश किया। प्रकरण में संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है:—

प्रार्थी की खातेदारी ग्राम भाण्डावास तहसील सावर की आराजीयात निम्नानुसार है

ा संख्या —पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
—29	1657/990	0.3950	बारानी—2
—138	989	0.5800	बारानी—2

उपरोक्त वर्णित आराजीयात खाता संख्या नया 298 व 141 प्रार्थी की एकमात्र कब्जे, काश्त स्वामित्व, ापत्य एवं खातेदारी की आरजाी है जिसमें आने जाने हेतु रास्ता अप्रार्थी की आराजीयात खाता संख्या —पुराना 1—1 की अराजी खसरा नम्बर 991 की भूमि मे से होकर मौके पर अवस्थित है उक्त आराजी खसरा र लगवा स्थित है उक्त खसरा नम्बर की अराजी में सं जानिक पूर्वी ओर से होकर प्रार्थी आपनी खातेदारी की जी में आते जाते है ताकि पूर्व में भी उक्त रास्ता कदीम से अवस्थित है तिथा लगभग 30 फिट चौडा है तथा रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी की आराजी में जाने का कोई रास्ता नही है उक्त कदीमी रास्ता आरंभ से मौके पर स्थित है उक्त कदीमी रास्ते से प्रार्थी आते जाते है अत: उक्त विद्यमान मार्ग को राजस्व रिकोर्ड में रास्ता के रूम भिलेखित किया जावे। इस हेतु प्रार्थी नियमानुसार राशि जमा करवाने हेतु तैयार है अत: प्रार्थना पत्र में रास्ता ाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये टेस तलब किया गया। अप्रार्थी जर्ये पैरोकार सरकार तहसीलदार सावर द्वारा जवाब/मौका रिपोर्ट प्राप्त हुआ। से सामिल पत्रावली किया गया। जो निम्नानुसार है:—

ग्राम भाण्डावास के खसरा नंबर 989 रकबा 0.58 एवं 1657/990 रकबा 0.3950 पर पहुंचा उक्त खसरा र अजमेर—कोटा राज्य राजमार्ग पर स्थित है राज्य राजमार्ग खसरा नंबर 1004 एवं प्रार्थी के खसरा नंबर के मध्य सरा नंबर 991 रकबा 0.11 सिवायचक भूमि है जो प्रार्थी के खसरा नंबर के लगवा है प्रार्थीगण अपने खातेदारी सरा नंबर से सिवायचक खसरा नंबर 991 मे से होकर ही मुख्य सड़क(राज्य राजमार्ग) पर आते जाते है प्रार्थी के ातेदारी खसरा नंबर एवं मुख्य सडक के मध्य सिवायचक खसरा नंबर होने के कारण ही रास्ता दिया जाना ावश्यक है उक्त प्रार्थीगण वर्तमान मे अपनी खातेदारी भूमि से सिवायचक खसरा नंबर 991 में से प्रस्तावित रास्ता 0x10=100वर्गमीटर जिसकी वर्तमान डी.एल.सी दर से दुगना करने पर बनी राशि लगभग 7883रूपये बनते है क्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है अत: उक्त सिवायचक भूमि खसरा नंबर 991 मे े रास्ता दिया जाना उचित है

वरवक्त सुनवाई प्रार्थीगण अधिवक्ता एवं अप्रार्थी को सुना गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराया तथा उपलब्ध मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों एवं मौका रिपोर्ट पर गहनता से मनन किया। प्राथीगण की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 989 रकबा 0.58 एवं 1657/990 रकबा 0.3950 पर पहुंच रास्ता उक्त खसरा नंबर अजमेर कोटा राज्य राजमार्ग पर स्थित है राज्य राजमार्ग खसरा नंबर 1004 एवं प्रार्थी के खसरा नंबर के मध्य खसरा नंबर 991 रकबा 0.11 सिवायचक भूमि है जो प्रार्थी के खसरा नंबर

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

गवा है मे से होकर प्रार्थीगण आते जाते है जो कि निकटतम रास्ता जो मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित नजरी नक्शा ाल स्याही से अंकन है निकटतम प्रतित होता है अतः विवेचन के आधार अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना अन्तर्गत 251ए आर.टी.एक्ट का स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—:आदेश:—

गण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है प्रार्थीगण की आराजी ग्राम ावास के खसरा नंबर 989 रकबा 0.58 एवं 1657/990 रकबा 0.3950 में आने जाने के लिए रास्ता खसरा नंबर रकबा 0.11 सिवायचक भूमि से होकर मुख्य मार्ग अजमेर—कोटा राज्य राजमार्ग खसरा नंबर 1004 पर पहुचता स्तावित रास्ता खसरा नंबर 991 रकबा 0.11 मे से 10x10=100वर्गमीटर मौका रिपोर्ट अनुसार जिसकी डी.एल. दर से दुगुनी राशि 7883(सात हजार आठ सो तैयासी रूपये) बनती है जो अप्रार्थी द्वारा जमा कराने पर खसरा 991 मे से मौका रिपोर्ट अनुसार सिवायचक सार्वजनिक गै.मु.रास्ता हेतु दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है ीलदार सावर द्वारा प्रार्थीगण से उक्त राशि वसूल कर नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जाकर ग्राम ावास के खसरा नंबर 989 एवं 1657/990 में आने जाने के लिए रास्ता मौके पर्चे में वर्णितानुसार एंव ट्रेस में दर्शाये अनुसार रास्ते के रूप में दर्ज एवं तरमीम की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना—अपना वहन

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)